59

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम कोटा

क्रमांक: ननिको/फायर/2013/556

दिनांक: 27/2/2013

प्रेषित:-

श्रीमान उप नगर नियोजक
नगर निगम कोटा

विषय:- मोहन निवास स्टेशन रोड कोटा स्थित भूखण्ड पर 7 ब्लाक G+9 + EWS ब्लाक में G+8 मंजिला आवासीय भवन हेतु अग्निशमन अस्थाई अभिशंषा पत्र बाबत

प्रसंग:- पत्र क्र. स्पा. दि. 28.01.2013

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री/मैसर्स जितेन्द्र सिंह द्वारा पावर ऑफ एटॉर्नी होल्डर सुशीला कुमारी, विजय सिंह, प्रताप सिंह, संजय सिंह, स्मृति कुमारी ने दिनांक 28/1/13 को इस विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मोहन निवास स्टेशन रोड स्थित भूखण्ड कोटा में बहुमंजिला इमारत (रिहायशी/व्यावसायिक) का संलग्न नक्शे के अनुसार निर्माण करवाना चाहते है, अतः अग्निशमन की दृष्टि से उन्हे अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाए। इस क्रम में मौका निरीक्षण किया गया एवं अग्निशमन की दृष्टि से इमारत निर्माण की अस्थाई अभिशंषा की जाती है, परन्तु प्रार्थी श्री/मैसर्स जितेन्द्र सिंह द्वारा पावर ऑफ एटॉर्नी होल्डर सुशीला कुमारी, विजय सिंह, प्रताप सिंह, संजय सिंह, स्मृति कुमारी को निम्न शर्तो का पालना करनी होगी:-

1. भवन/इमारत का निर्माण नगर विकास न्यास/नगर निगम कोटा की स्वीकृति के अनुसार प्रचलित नियमों के तहत करवाया जाना होगा।
2. भवन/इमारत में फायर हाइड्रेण्ट, वेट-राइजर सिस्टम मय होज रील, होज-पाईप आदि, आपात्कालीन बचाव की सीढियां, स्प्रिंकलर सिस्टम, पम्प रूम, फायर एलार्म सिस्टम, आग बुझाने के लिये ओवर हेड एवं अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टेंक, फायर एक्सटिंग्यूशर आदि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित किये जाने होगे।
3. भवन/इमारत के चारों ओर अग्निशमन वाहन की सरलता से पहुंच हेतु पर्याप्त खुला स्थान नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना होगा।
4. नियमानुसार निर्धारित राशि की बैंक गारंटी नगर निगम कोटा के पास जमा करानी होगी।

भवन/इमारत में स्थापित किए गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सदैव सही व कार्यशील अवस्था में रखने होंगे एवं कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र/उपकरणों को उपयोग में लेने की जानकारी होना आवश्यक होगा। यह अस्थाई अभिशंषा पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक मान्य होगा।

27/2/13

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम कोटा

Scanned by CamScanner